


समयव जगते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936

No. 160]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

सा.का.नि.217(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास रखी असंदत्त और अदावाकृत रकमों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास रखी असंदत्त और अदावाकृत रकमों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये 31 मार्च, 2014 से प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास रखी असंदत्त और अदावाकृत रकमों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(कक) “तत्स्थानीय नए बैंक” से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 के खंड (घ) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित तत्स्थानीय नए बैंक अभिप्रेत है;’

3. उक्त नियम के नियम 3 में, “यथाविनिर्दिष्ट दावाकृत रकमों का पता लगाएगी,” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“और तत्स्थानीय बैंक अपनी प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ख और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख के अनुसरण में असंदत्त लाभांश की अंतरित धन की पहचान करेगी जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत है,”

4. इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 5आईएनवी में “कंपनी” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “कंपनी और तत्स्थानीय नए बैंक” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5/29/2013-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. सं. 352(अ) तारीख 10 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 27th March, 2014

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642 read with sub-section (3) of Section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012, namely :—

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the 31st March, 2014.

2. In rule 2 of Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

‘(aa) “corresponding new bank” means the corresponding new bank as defined in clause (d) of Section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of Section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);’

3. In rule 3 of the said rules, after the words, figures and letter, “Section 205C of the Act”, the following words, figures, letter and brackets shall be inserted namely :—

“and corresponding new bank shall within a period of 90 days from the date of holding their Annual General Meeting every year, identify the money transferred to the Unpaid Dividend Account in pursuance of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer”

4. In Form 5 INV annexed to said rule, for the word “company”, wherever it occurs, the words “company and corresponding new bank” shall be substituted.

[F. No. 5/29/2013-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* number G.S.R. 352(E), dated the 10th May, 2012.